

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 74/2023

उनवान

1. उदयलाल लाल पुत्र श्री गोपी लाल दरोगा भाटी(रावणा राजपूत) नि० शिवपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. भैरू पुत्र श्री रूपा दरोगा नि० शिवपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. लक्ष्मण पुत्र श्री रूपा दरोगा नि० शिवपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. मनोहर पुत्र श्री रूपा दरोगा नि० शिवपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. रामेश्वर पुत्र श्री नन्दा शर्मा नि० जवासिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. लादू पुत्र श्री नारायण भाट नि० शिवपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. भैरू पुत्र श्री नन्दा दरोगा नि० जवासिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. रामेश्वर पुत्र श्री हीरा दरोगा नि० जवासिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. लादू पुत्र श्री गणेश दरोगा नि० जवासिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. शोभा लाल पुत्र नारायण गाडरी नि० जवासिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 04.07.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 07.06.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम शिवपुरा प.ह. दूडिया भू०अ०नि० क्षेत्र बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 07 की आ.न. 1001/2 रकबा 0.1012 है०, आराजी संख्या 1002/2 रकबा 0.6070 है०, आराजी नम्बर 1003 रकबा 0.6196 है०, आराजी नम्बर 897/2 रकबा 0.2782 है०, आराजी नम्बर 900/2 रकबा 0.6449 है० कुल किता 05 रकबा 2.2509 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.06.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम शिवपुरा प.ह. दूडिया भू०अ०नि० क्षेत्र बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 07 की आ.न. 1001/2 रकबा 0.1012 है०, आराजी संख्या 1002/2 रकबा 0.6070 है०, आराजी नम्बर 1003 रकबा 0.6196 है०, आराजी नम्बर 897/2 रकबा 0.2782 है०, आराजी नम्बर 900/2 रकबा 0.6449 है० कुल किता 05 रकबा 2.2509 है०, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 900/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रू० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 04.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

